

पंजीवन क्रमांक 1588/16

दिनांक 19.05.2016

द्वितीय नं. 105

दिनांक 19.05.2016

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री श्री वांकल वीराप्पा माता दामर्षि हूस्ट द्वारा संचालित श्री वांकल वीराप्पा माता
ग्राम वीराप्पा, टोक (टोक) पोस्ट टोक गोशाला
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर के सम्बन्ध में।

चूँकि श्री कुम्पसिंह राजपुरोहित — सचिव न्यासी (ट्रस्टी)
गौशाला श्री श्री वांकल वीराप्पा माता गोशाला ने राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद में संतुष्ट हो गया है।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक ३० मई वर्ष दो हजार सोलह



रजिस्ट्रार गोशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कय गोशाला विकास अधिकारी
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर)

श्री वांकल वीराप्पा माता गोशाला, वीराप्पा
ग्राम, पो. टोक, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर (राज.)